पत्रांक–5पुरा/प्र06–36/2023............../

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेषक,

मो0 बलागउद्दीन
संयुक्त सचिव (परामर्शी) ।

सेवा में,

सचिव,
पर्यटन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः

विषयः– श्री महेश्वर सिंह माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–एस0सी01 के हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– बिहार विधान परिषद् सचिवालय के ज्ञापांक–3282 (5), दिनांक 29.10.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में कहना है कि श्री महेश्वर सिंह माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–एस0सी01 पर्यटन विभाग, बिहार, पटना से सम्बंधित होने के कारण आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रुप में संलग्न कर हस्तांतरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0ः–1. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के ज्ञापांक–3282 (5), दिनांक 29.10.2023
2. जिला पदाधिकारी, मोतिहारी का उत्तर सामग्री

विश्वासभाजन

ह0/–
(मो0 बलागउद्दीन)
संयुक्त सचिव (परामर्शी)।

ज्ञापांक....................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री पवन कुमार चौधरी, अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(मो0 बलागउद्दीन)
संयुक्त सचिव (परामर्शी)।

ज्ञापांक 337/ पटना, दिनांक– 08/11/2023

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/ आई0टी0 मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.23

(मो0 बलागउद्दीन)
संयुक्त सचिव (परामर्शी)।

(7)

कला, संसकृति एवं युवा विभाग
पुरातत्व निदेशालय
आगत सं० 124
दिनांक 07/11/23

07.11.23

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला कला, संस्कृति एवं युवा प्रशाखा)

पत्रांक :– 390 /
दिनांक :– 06 / 11 / 2023

फोन नं0 :– 06252-242700(O), 242800(R)
फैक्स नं0 :– 06252-242900
ई–मेल :– dsoec00518@gmail.com

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

संयुक्त सचिव (परामर्शी)
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– श्री महेश्वर सिंह, (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–01 / 205 / 27, दिनांक–27.10.2023 के संबंध में। ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–331 दिनांक–01.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि श्री महेश्वर सिंह, (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–01 / 205 / 27 का उत्तर सामग्री निम्नवत है:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह सही है कि अंडमान निकोबार के कालापानी से भी भयानक सजा अंग्रेजों द्वारा गुलामी के दौरान पूर्वी चम्पारण के रक्सौल प्रखण्ड अन्तर्गत हरदिया कोठी, जिसे निलहा कोठी भी कहा जाता था, उसमें किसानों को कर नहीं चुकाए जाने पर दी जाती थी।	अंचल कार्यालय, रक्सौल में साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि अंग्रेजों के विरूद्ध आवाज उठानेवालों को कोड़ों से पिटवाकर यहाँ के जोकहा–पोखर में डाल दिया जाता था।	अंचल कार्यालय, रक्सौल में साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
3	क्या यह सही है कि इस ऐतिहासिक स्थान पर अब लोग मछली पालन और खेती का काम करते है।	स्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो कृपया सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित कर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना चाहती है, यदि नही तो क्यों ?	सरकार के स्तर से।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।